

पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) से (iii) तक के लिए देखिए संख्या एल. टी-730/90]

III. (क) 1980-81 के वर्ष के लिए बिहार स्टेट एग्री-इंडस्ट्रीज डेवलेप-मेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल. टी. 754/90]

IV. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए पंजाब एग्री-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, चंडीगढ़ का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिए लिए देखिए संख्या एल. टी. 753/90]

V. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश एग्री-इंडस्ट्रीज कार-पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) उपरोक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी

में) [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्या एल. टी. 755/90]

I. Report and Accounts (1988-89); of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi and related papers.

H. Fertilizer (Control) (Second Amendment) Order, 1990.

श्री नितेश मार : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रता हूँ—

I (i) 1988-89 के वर्ष के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड I और II) ।

(ii) 1988-89 के वर्ष के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे ।

(iii) ऊपर (i) और (ii) से उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई (i) से (iii) तक के लिए देखिए संख्या एल. टी. 731/90]

II. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 271(अ), दिनांक 29 मार्च, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 729/90]

Report and Accounts (1988-89) of the National Institute of Urban Affairs. New Delhi and related papers.

THE 'MINISTER' OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI \ MURASOLI DE-